प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 17.01.2025 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने व जाति सूचक शब्द बोलने का आरोपी गिरफ्तार थाना ठाकुरद्वाराः-

अवगत कराना है कि दिनांक 15.01.2025 को वादी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को स्कोर्पियो गाडी में जबरदस्ती खीचकर ले जाने व दुष्कर्म करने तथा जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करने के संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-18/2025 धारा- 64/137(2)/352 बी0एन0एस0 व 3(1)द / 3(1)ध / 3(2)v SC / ST ACT व 3 /4 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 17.01.2025 को उ0नि0 विनीत कुमार थाना ठाकुरद्वारा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी राशिद पुत्र आबिद हुसैन निवासी ग्राम पानूवाला थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- थाना भोजपुर पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 02 आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 17.01.2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 02 आरोपी गण 1.अरमान पुत्र मुनाजिर 2.अशरफ पुत्र मौ0 असलम निवासीगण मौ0 धर्मपुर आंगा कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।